समाहरणालय, खगड़िया

बिहार सरकार

ई-मेल :-dm-khagaria.bih@nic.in, generalsectionkhagaria@gmail.com

वेबसाईट :- https://khagria.nic.in

दूरभाष :- 06244-222135

(जिला शस्त्र शाखा)

—: आदेश :—

किशोरी देवी, पति—स्व0 शिवाकान्त झा, साकिन—मुरादपुर, पो0—विष्णुपुर, थाना—परबत्ता, जिला—खगड़िया द्वारा अपने पति स्व0 शिवाकान्त झा की मृत्योपरान्त उनके नाम से धारित शस्त्र अनुज्ञप्ति सं0—01A/1971 (परबत्ता थाना) को रद्द करने एवं उक्त अनुज्ञप्ति पर धारित शस्त्र को इंडिया गण हाउस, भागलपुर के यहाँ बिक्री करने का अनुरोध किया गया है। आवेदन के साथ इंडिया गण हाउस भागलपुर का सहमति पत्र भी संलग्न किया गया है।

चूँकि अनुज्ञप्तिधारी शिवाकान्त झा की मृत्यु हो गई है, अतः शस्त्र अधिनियम 1959 की धारा 17 (4) के तहत राईफल की अनुज्ञप्ति सं0—01A/1971 (परबत्ता थाना) को शस्त्र अधिनियम 1959 की धारा 21 एवं आयुध अधिनियम, 2016 की धारा 47 के आलोक में तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाता है एवं आवेदिका किशोरी देवी को अपने पति स्व0 शिवाकान्त झा के राईफल की अनुज्ञप्ति सं0—01A/1971 (परबत्ता थाना) पर धारित राईफल नं0—7663 को इंडिया गण हाउस, भागलपुर को बेचने का आदेश दिया जाता है। किशोरी देवी पति—स्व0 शिवाकान्त झा, साकिन—मुरादपुर, पो0—विष्णुपुर, थाना—परबत्ता, जिला—खगड़िया को आदेश दिया जाता है कि वे शस्त्र बिक्री के पश्चात विक्रय पत्र की छायाप्रति के साथ मूल अनुज्ञप्ति पुस्तिका रद्दीकरण हेतु जिला शस्त्र शाखा, खगड़िया को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

ह0/-
जिला दण्डाधिकारी
खगड़िया

ज्ञापांक IV-03/2020....1577..../जी0, दिनांक 11.12.2021

प्रतिलिपि :— आवेदक किशोरी देवी, पति—स्व0 शिवाकान्त झा, साकिन—मुरादपुर, पो0—विष्णुपुर, थाना—परबत्ता, जिला—खगड़िया को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :— थानाध्यक्ष, परबत्ता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :— आई0टी0 प्रबंधक, खगड़िया को वेबसाईट पर अपलोड एवं संबंधित पदाधिकारी को ई—मेल भेजने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :— जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, खगड़िया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :— पुलिस अधीक्षक, खगड़िया को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :— सभी जिला दण्डाधिकारी, बिहार राज्य को सूचनार्थ प्रेषित।

10/12/21

जिला दण्डाधिकारी,
खगड़िया